

मुन्तकिली प्रकरण सं० 1/2015 अनवानी जगदीश पुत्र मनफूलराम जाति सुथार निवासी गांव 33 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर बनाम 1-इन्द्रजीत पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई नि. 33 एम.एल. तह० रायसिंहनगर 2-चावली पत्नि मनफूलराम 3-राजाराम पुत्र मनफूलराम 4-राकमुमार पुत्र मनफूलराम 5-दलीप पुत्र मनफूलराम जाति सुथार नि. 33 एम.एल. तह० रायसिंहनगर 6-बिरमादेवी आदि

29.06.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है अप्रार्थी इन्द्रजीत के अभिभाषक श्री सुशील बिश्नोई उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में लंबित वाद संख्या 239/2013 अनवानी इन्द्रजीत बनाम चावली आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में लंबित वाद संख्या 239/2013 अनवानी इन्द्रजीत बनाम चावली आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये हैं। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

12/2
4-7-16